राजस्थान राज्य सूचना आयोग

झालाना लिंक रोड, ओ.टी.एस. चौराहा ,जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर

<u>अपील संख्या: - 10390/2017</u>

अपीलार्थी **बनाम** **प्रत्यर्थी**

वैभव गुप्ता
776, शान्तिनगर, दुर्गापुरा रेल्वे स्टेशन के पास,
जयपुर , राजस्थान

राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं आवासीय अभियंता, पी0एच0ई0 प्रथम,
राजस्थान आवासन मण्डल,
सेक्टर.8, शंकराचार्य मार्ग,
मानसरोवर जयपुर

द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 19(3) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

निर्णय

दिनांक : 05-03-2018

1. अपीलार्थी अनुपस्थित।
2. प्रत्यर्थी पक्ष से श्री रिषी कुमार शर्मा, आवासीय अभियन्ता, उपस्थित।
3. मैंने प्रत्यर्थी पक्ष को सुना एवं पत्रावली का विशद परिशीलन किया।
4. अपीलार्थी के आवेदन दिनांक 28-1-17 के द्वारा मेवाड़ अपार्टमेन्ट के पुर्नमाप के सम्बन्ध में 19 बिन्दुओं की सूचना चाही गई थी। पूर्ण सूचना नहीं मिलने एवं प्रथम अपील विनिश्चयविहीन रहने के आक्षेप पर हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई है।
5. सुनवाई के दौरान प्रत्यर्थी ने निवेदन किया कि अपीलार्थी को पंजीकृत पत्र दिनांक 9-3-17 से बिन्दुवार विनिश्चय प्रेषित कर दिया गया था। पुनः अपीलोत्तर दिनांक 10-1-18 की प्रति पृष्ठांकित कर अपीलार्थी को बिन्दुवार विनिश्चय/सूचना का प्रेषण किया जा चुका है।
6. प्रत्यर्थी ने आयोग के नोटिस के संदर्भ में अपीलोत्तर दिनांक 10-1-18 मय संलग्नक प्रस्तुत किया है, प्रति अपीलार्थी को पृष्ठांकित की है से प्रत्यर्थी के उपरोक्त पैरा संख्या 5 में किये गये कथन की पुष्टि होती है।
7. पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख से स्पष्ट है कि अपीलार्थी को सूचना के आवेदन के अनुक्रम में बिन्दुवार विनिश्चय/सूचना का प्रेषण किया जा चुका है जो कि विधिसंगत है। अपील में अब कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने के कारण अपील का खारिज किया जाना समीचीन है।
8. अस्तु, वर्तमान अपील खारिज की जाती है।
9. निर्णय की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।
10. निर्णय घोषित।

(सुरेश चौधरी)
मुख्य सूचना आयुक्त